भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या :64

गुरुवार, 2 फरवरी, 2023/13 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन लाइसेंस

64. **श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे**:
श्री के. मुरलीधरन:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री विनसेंट एच. पाला:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार के पास ड्रोन लाइसेंसों की संख्या से संबंधित आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2021 और 2022 के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने ड्रोनों को किन-किन क्षेत्रों में तैनात किया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने मानवरहित विमान प्रणाली के लिए प्रमाणन, पंजीकरण, दूरस्थ पायलट लाइसेंस और बीमा प्राप्त करने के तंत्र के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए कोई जागरुकता अभियान चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए परिकल्पित अवसरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) तथा (ख) जी हां। 31 दिसंबर 2022 की तिथि के अनुसार विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) धारित मानवरहित विमान प्रणालियों (ड्रोनों) की संख्या 5673 है। वर्ष 2021 तथा 2022 के लिए ड्रोनों की संख्या का विवरण अनुबंध पर संलग्न है।

(ग): मानव रहित विमान प्रणाली के लिए प्रमाणन, पंजीकरण, रिमोट पायलट लाइसेंस और बीमा प्राप्त करने के तंत्र के संबंध में जागरूकता लाने के लिए, केंद्र सरकार ने उपयोग के मामलों और नीतिगत सुधारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर के राज्यों में ड्रोन मेलों का आयोजन किया है।
मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में 27-29 मई 2022 के दौरान प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया।

(घ) ड्रोन, अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र के लिए व्यापक रूप से लाभदायक हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश में ड्रोनों के अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, विनिर्माण तथा प्रचालन को प्रोत्साहित करने के क्रम में, केंद्र सरकार ने उदारीकृत ड्रोन नियमावली, 2021 जारी की है। आगे के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने भारत में ड्रोन तथा ड्रोनों के पुर्जों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत में ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। यह परिकल्पना की गई है कि विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ एक विकासोन्मुख नियामक ढांचे से रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा होगा।

******

अनुबंध

दिनांक 02.02.2023 को दिए जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 64 में उल्लिखित अनुबंध

क्रम. सं.	राज्य/यूटी	2021	2022	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	5	84	89
2.	असम	4	21	25
3.	बिहार	2	38	40
4.	चंडीगढ़	3	2	5
5.	छत्तीसगढ़	3	21	24
6.	दिल्ली	70	1202	1272
7.	गोवा	3	16	19
8.	गुजरात	33	151	184
9.	हरियाणा	13	895	908
10.	हिमाचल प्रदेश	3	9	12
11.	जम्मू और कश्मीर	3	16	19
12.	झारखंड	2	29	31
13.	कर्नाटक	34	671	705
14.	केरल	10	248	258
15.	लक्षद्वीप		1	1
16.	मध्य प्रदेश	8	58	66
17.	महाराष्ट्र	192	529	721
18.	मणिपुर		2	2
19.	मेघालय	4	10	14
20.	ओडिशा	9	58	67
21.	पुदुचेरी	1	5	6
22.	पंजाब	5	28	33
23.	राजस्थान	7	37	44
24.	सिक्किम		1	1
25.	तमिलनाडु	10	369	379
26.	तेलंगाना	57	301	358
27.	त्रिपुरा		3	3
28.	उत्तर प्रदेश	16	120	136
29.	उत्तराखंड		129	129
30.	पश्चिम बंगाल	5	117	122
	कुल योग	**502**	**5171**	**5673**